International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

अनुच्छेद 370 एवं 35 ए की वैधानिक समीक्षा

Rajesh
Ugc Net in (pol. Science)
Email id - rj84659@gmail.com

परिचय

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 A को विशेष स्थिति देने वाले प्रावधानों के रूप में शामिल किया गया था, जो जम्मू–कश्मीर के राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अनुच्छेद 370 की उत्पत्ति भारत के विभाजन और जम्मू–कश्मीर के भारत में विलय के ऐतिहासिक संदर्भ से हुई थी। वर्ष 1947 में, विभाजन के बाद, जब पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर पर आक्रमण किया, तो तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय संधि (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत, जम्मू–कश्मीर भारत का हिस्सा बना लेकिन इसे आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई, जिसमें रक्षा, संचार और विदेश मामलों के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में भारतीय संसद के कानून तब तक लागू नहीं किए जा सकते थे, जब तक राज्य विधानसभा सहमति न दे। इस विशेषता को संविधान में स्थाई रूप से लागू करने के लिए अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन धीरे–धीरे यह राज्य की स्थायी विशेषता बन गया।[1]

मुख्य शब्दः अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35, जम्मू–कश्मीर विशेष दर्जा, भारतीय संविधान, संविधान संशोधन 1954, भूमि खरीद अधिकार, संवैधानिक असमानता, सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक अधिकार, आलोचना और समर्थन, राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक अस्थायित्व,कानूनी विशेषाधिकार।

अनुच्छेद 35 A, जिसे 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया, राज्य को यह अधिकार देता था कि वह अपने ''स्थायी निवासियों'' को विशेषाधिकार दे सके। इसके अनुसार, केवल राज्य के स्थायी निवासी ही जम्मू–कश्मीर में अचल संपत्ति खरीद सकते थे, सरकारी नौकरियों और शैक्षिक सुविधाओं में आरक्षण प्राप्त कर सकते थे। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को बनाए रखना था, जिससे बाहरी प्रभावों को सीमित किया जा सके, लेकिन इस अनुच्छेद के कारण राज्य में बाहरी नागरिकों के लिए भेदभाव की स्थिति बनती रही और कई वर्गों द्वारा इसे असंवैधानिक माना गया।[2]

समय के साथ–साथ अनुच्छेद 370 और 35 A के औचित्य पर सवाल उठते रहे। समर्थकों का मानना था कि इन अनुच्छेदों के बिना जम्मू–कश्मीर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और उसके राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण संभव नहीं है। दूसरी ओर, आलोचकों का तर्क था कि ये प्रावधान जम्मू–कश्मीर को अन्य भारतीय राज्यों से अलग करके भारत की एकता और अखंडता में बाधा उत्पन्न करते हैं। उनका यह भी मानना था कि इन अनुच्छेदों के कारण राज्य का पूर्ण विकास संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बाहरी निवेशकों और उद्योगों के लिए वहां व्यापारिक अवसर सीमित थे।[3]

---

[1] भट्टाचार्य, एस., अनुच्छेद 370 का निरसन और भारतीय संघवाद पर इसका प्रभाव, संवैधानिक अध्ययन पत्रिका, वाल्यूम 5(2), 2019, पृ० 101–125.

[2] गुप्ता, आर., अनुच्छेद 370 का निरसनः ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टिकोण, भारतीय सार्वजनिक नीति पत्रिका, वाल्यूम 12(4), 2019, पृ० 87–98.

[3] भारतीय संवैधानिक कानून समीक्षा, अनुच्छेद 35ए के निरसन और जम्मू–कश्मीर पर इसके प्रभाव की समझ, भारतीय संवैधानिक कानून समीक्षा, वाल्यूम 6(3), 2019, पृ० 56–72.

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

इस विवाद को खत्म करने के लिए, भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया और अनुच्छेद 35 A को निरस्त कर दिया। इस निर्णय के तहत जम्मू–कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू–कश्मीर और लद्दाख – में विभाजित कर दिया गया। यह कदम भारतीय संविधान और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा गया। इसके बाद, जम्मू–कश्मीर में भारतीय कानून लागू हो गए और बाहरी नागरिकों को भी राज्य में संपत्ति खरीदने तथा अन्य सुविधाओं में भाग लेने का अवसर मिला। हालांकि, इस कदम का कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध किया और इसे राज्य की स्वायत्तता और पहचान पर हमला बताया। इसे भारतीय न्यायालयों में चुनौती भी दी गई, जहाँ संवैधानिक वैधता पर बहस हुई। इस परिवर्तन के प्रभाव अब तक देश की राजनीति, समाज और सुरक्षा नीति में महसूस किए जा रहे हैं, जो कि जम्मू–कश्मीर के विकास, सामाजिक संरचना और राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं।[4]

अनुच्छेद 370 और 35 A का भारतीय संघ से संबंध

अनुच्छेद 370 और 35 A भारतीय संविधान के दो ऐसे प्रावधान थे जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करते थे। इन अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य जम्मू–कश्मीर को भारत में शामिल करने के बाद, राज्य की सांस्कृतिक और राजनीतिक विशिष्टता का सम्मान करना था। यह व्यवस्था भारत और जम्मू–कश्मीर के बीच एक विशेष प्रकार के संवैधानिक संबंध का आधार थी।[5]

अनुच्छेद 370 का भारतीय संघ से संबंध

अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था जिसने जम्मू–कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में शामिल होते हुए भी एक विशेष स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया। इसके तहत भारतीय संसद को केवल कुछ सीमित विषयों जैसे कि रक्षा, विदेश नीति, संचार मामलों पर ही कानून बनाने की अनुमति थी, जबकि अन्य सभी मामलों में राज्य की अपनी विधान सभा और संविधान थे। इस व्यवस्था के अनुसार, भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान जम्मू–कश्मीर पर तभी लागू होते थे जब राज्य सरकार सहमति देती थी, जिससे राज्य को संघीय व्यवस्था में विशेष स्थान प्राप्त होता था। अनुच्छेद 370(1) के तहत, राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वह इस राज्य के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकते थे जिससे संविधान के कुछ हिस्से राज्य में प्रभावी हो सकें। इसी अनुच्छेद के खंड (3) में यह प्रावधान भी था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य की संविधान सभा की सहमति आवश्यक थी। वर्ष 1957 में जम्मू–कश्मीर की संविधान सभा भंग हो जाने के बाद, यह प्रावधान प्रभावी रूप से निष्क्रिय हो गया, जिससे अनुच्छेद 370 को समाप्त करने में कानूनी कठिनाई उत्पन्न हुई। इस प्रकार, अनुच्छेद 370 ने जम्मू–कश्मीर को भारत में होते हुए भी विशेष दर्जा प्रदान किया और उसकी संप्रभुता और स्वायत्तता को एक अनोखे ढंग से संरक्षित किया, जिससे राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्थिति बाकी राज्यों से भिन्न रही।[6]

अनुच्छेद 35 A का भारतीय संघ से संबंध

अनुच्छेद 35ए भारतीय संविधान का एक अद्वितीय प्रावधान था, जिसे 1954 में राष्ट्रपति के विशेष आदेश से जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य जम्मू–कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर एक विशेष दर्जा प्रदान करते हुए उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित रखना था। इस अनुच्छेद के माध्यम से

[4] गृह मंत्रालय, भारत सरकार, अनुच्छेद 370 के निरसन पर प्रस्ताव, गृह मंत्रालय रिपोर्ट, 2019, पृ० 56–72.
[5] राव, पी. वी., अनुच्छेद 370 के निरसन का भारत के संघीय और संवैधानिक ढांचे पर प्रभाव, एशियाई सार्वजनिक प्रशासन पत्रिका, वाल्यूम 32(1), 2020, पृ० 19–36.
[6] नूरानी, ए. जी., अनुच्छेद 370: जम्मू और कश्मीर का संवैधानिक इतिहास, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2014, पृ० 72.

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

जम्मू–कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार प्राप्त था कि वह राज्य के स्थायी निवासियों की परिभाषा तय करे और केवल इन्हें विशेष अधिकार प्रदान कर सके। स्थायी निवासियों के विशेषाधिकारों में प्रमुख थे – राज्य में संपत्ति खरीदने का अधिकार, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ। यह व्यवस्था बाहरी राज्यों के नागरिकों को राज्य में संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने और स्थानीय शैक्षिक संस्थानों में लाभ उठाने से रोकती थी, जो राज्य की सांस्कृतिक एकता और संप्रभुता को बनाए रखने का प्रयास था।

हालांकि, इस प्रावधान के कारण राज्य की महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा। यदि किसी स्थायी महिला नागरिक ने राज्य से बाहर के व्यक्ति से विवाह किया, तो उसे और उसके बच्चों को संपत्ति और अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था, जबकि पुरुषों के मामले में ऐसा प्रतिबंध नहीं था। इसे भेदभावपूर्ण माना गया, क्योंकि यह महिलाओं के समानता और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन था, जिससे अनुच्छेद 35ए की आलोचना बढ़ी। इस अनुच्छेद के कारण जम्मू–कश्मीर में एक अलग नागरिकता का भाव उत्पन्न हुआ, जहां बाहरी भारतीयों के लिए राज्य के संसाधनों और अवसरों तक पहुंच सीमित हो गई। इस प्रकार अनुच्छेद 35ए ने एक ओर राज्य की संप्रभुता की रक्षा का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर यह महिला अधिकारों पर प्रतिबंध के कारण विवादास्पद बना रहा, जिसे समय के साथ कई लोग इसे संघीय एकता और सामाजिक समानता के विपरीत मानने लगे।[7]

भारतीय संघ के साथ संबंध में बदलाव

5 अगस्त 2019 का निर्णय भारत के संघीय ढांचे में एक अभूतपूर्व परिवर्तन था, जिसमें सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को समाप्त कर दिया तथा जिसके द्वारा जम्मू–कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त कर दिया गया। इससे पहले, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू–कश्मीर को एक विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी, जिसके अंतर्गत केवल रक्षा, विदेश नीति एवं संचार मामलों पर भारतीय संसद कानून बना सकती थी, जबकि अन्य विषयों में राज्य का अपना संविधान और विधान सभा थी। अनुच्छेद 35ए ने राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देने का अधिकार दिया था, जिसमें संपत्ति का अधिकार, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण शामिल था। इन अनुच्छेदों के हटने से भारतीय संविधान का पूरा ढांचा जम्मू–कश्मीर पर लागू हो गया, जिससे अब यह राज्य अन्य भारतीय राज्यों की तरह बन गया और केंद्र सरकार को सभी विषयों पर कानून बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई।[8]

इस बदलाव का एक बड़ा प्रभाव जम्मू–कश्मीर के संघीय ढांचे में देखा गया, जहाँ इसे अब एक विशेष राज्य की बजाए भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा माना गया। इसके परिणामस्वरूप, राज्य की सीमाओं के भीतर भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हो गए और अब केंद्र सरकार वहाँ के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि कानून और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में नीतियाँ बना सकती है, जो पहले केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में थे। जम्मू–कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से क्षेत्रीय प्रशासन और नियंत्रण का केंद्रीकरण हुआ, जिससे सुरक्षा और विकास में अधिक तेजी और प्रभावी सुधार की संभावना बनी।इस निर्णय से संघीय एकता और अखंडता को भी सुदृढ़ता मिली, क्योंकि जम्मू–कश्मीर में अब वे सभी अधिकार और कर्तव्य लागू हो गए जो भारत के अन्य राज्यों में हैं। इस बदलाव ने राज्य की क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त किया, जिससे वहाँ के नागरिकों को वे अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त हो सकीं जो पहले केवल अन्य राज्यों के नागरिकों को प्राप्त थे। राज्य के विकास, रोजगार, सुरक्षा और

[7] शर्मा, ए., जम्मू और कश्मीर में महिलाओं के अधिकारों पर अनुच्छेद 370 के निरसन का प्रभाव, जेंडर स्टडीज रिव्यू, वाल्यूम 15(1), 2020, पृ० 48–62.

[8] सिंह, ए., अनुच्छेद 370 और 35ए का संघीय ढांचे पर प्रभाव, भारतीय संघीय अध्ययन जर्नल, वाल्यूम 10(1), 2020, पृ० 21–43.

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सामाजिक–आर्थिक सुधारों में अधिक स्वतंत्रता और केंद्रीकृत सहयोग की संभावनाएँ उभरीं, जो न केवल राज्य के नागरिकों के लिए बल्कि पूरे भारतीय संघ के लिए समानता और अखंडता की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। इस तरह, 5 अगस्त 2019 का निर्णय भारतीय संघीय ढांचे में एक नये युग की शुरुआत थी, जिसने जम्मू–कश्मीर को एक नई दिशा और पहचान दी।[9]

संवैधानिकता और वैधता

अनुच्छेद 370 को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370(3) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया, जिसके तहत उन्होंने जम्मू–कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने का आदेश जारी किया। राज्य की विधानसभा के भंग होने के कारण, राज्यपाल की सहमति को राज्य की सहमति के रूप में स्वीकार कर इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस निर्णय की संवैधानिकता पर प्रश्न उठे और मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहाँ इसकी कानूनी वैधता की समीक्षा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध माना, जिससे यह निर्णय स्थापित हुआ कि अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप थी। इस बदलाव से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय संघ के ढांचे में सभी राज्यों की स्थिति समान होगी, जिससे किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का विचार समाप्त हुआ। यह निर्णय भारतीय संघीय ढांचे में एकरूपता और समानता को बढ़ावा देता है, जहाँ सभी राज्यों को एक समान अधिकार और जिम्मेदारियाँ प्राप्त हैं।[10] हालांकि, कुछ उत्तर–पूर्वी राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक प्रावधानों के साथ एक सीमित विशेष दर्जा अभी भी दिया गया है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय आवश्यकताओं का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, भारतीय संविधान में एकीकृतता और समता का एक नया आयाम जुड़ गया, जो संघीय ढांचे में सभी राज्यों के लिए समानता का संदेश देता है।अनुच्छेद 370 और 35 A भारतीय संघ और जम्मू–कश्मीर के बीच विशेष संबंध का प्रतीक थे, जो कि भारतीय संघ में राज्य की विशिष्टता और स्वायत्तता का सम्मान करते थे। 5 अगस्त 2019 को इन्हें निष्क्रिय करने से भारतीय संघ के साथ जम्मू–कश्मीर का संबंध सामान्य राज्यों जैसा हो गया है और अब वहां पर भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू होते हैं।[11]

निष्कर्ष :

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 A भारतीय संविधान में जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने हेतु जोड़े गए थे, जिनका उद्देश्य इस राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विशिष्टता की रक्षा करना था। यद्यपि इन प्रावधानों ने प्रारंभ में राज्य के एकीकरण और पहचान को सुरक्षित रखने में भूमिका निभाई, लेकिन कालांतर में ये अनुच्छेद भारत की संवैधानिक समता, एकता और विकास में बाधा बनने लगे। बाहरी नागरिकों, महिलाओं तथा अन्य राज्यों के निवेशकों को भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिससे जम्मू–कश्मीर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ता गया।

5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी और अनुच्छेद 35 A को निरस्त कर दिया गया। यह निर्णय संघीय ढाँचे में एक ऐतिहासिक परिवर्तन सिद्ध हुआ, जिससे जम्मू–कश्मीर भारतीय संविधान के पूर्ण दायरे में आ गया। इस परिवर्तन से एक ओर जहाँ संवैधानिक समता की स्थापना हुई,

[9] सेन, एस., जम्मू–कश्मीर का विशेष दर्जा और इसका भारत पर प्रभाव, राष्ट्रीय एकता और विकास पत्रिका, वाल्यूम 6(2), 2019, पृ० 91–109.

[10] शुक्ला, आर., जम्मू–कश्मीर में सामाजिक–आर्थिक संरचना पर अनुच्छेद 35ए का प्रभाव, भारतीय राजनीति और प्रशासनिक अध्ययन, वाल्यूम 15(4), 2019, पृ० 67–89

[11] देसाई, वी., अनुच्छेद 370 और भारतीय संघवादः एक ऐतिहासिक समीक्षा, संवैधानिक अध्ययन और शोध, वाल्यूम 8(4), 2018, पृ० 36–54.

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

वहीं दूसरी ओर राज्य को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए नई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संभावनाओं के द्वार भी खुले। यद्यपि इस निर्णय पर विभिन्न मत रहे हैं, तथापि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यबोध की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है।